न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 10 सन् 2022

राज.सरकार

बनाम

पवन पुत्र श्री बनवारी लाल वगै0जाति जाट साकिन दलपतपुरा

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः– 29/04/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का दलपतपुरा ने एक रिर्पोट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण पवन पुत्र श्री बनवारी लाल वगै0 जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर द्वारा ग्राम दलपतपुरा के ख.न. 2/2 की कुल 4.8150 है0 मे से 3.036 है0 एवं ख0न0 2/3 की 2.6710 है0 मे से 1.771 है0 किस्म गैर मुमकिन बारानी प्रथम की भूमि पर रबी सवत् 2078 में नाजायज चना फसल काश्त कर अतिक्रमण की पटवारी हल्का रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया जो अप्रार्थीगण स्वयं से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के वकील श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही तारीख पेशी पर हाजिर हुआ। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही। अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है एवं अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा गै0मु0 बारानी प्रथम की भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने पर कुर्क शुद्वा फसल की निलामी पेश की गई जिसमें सबसे उच्तम बोलीदार श्री राकेश पुत्र राजेन्द्र जाट निवासी दलपतपुरा की 13468 रु. रही जिसे स्वीकृत किया जाता है एवं राशि नियमानुसार खजाना राज में जमा कराने हेतु पटवारी हल्का दलपतपुरा को आदेशित किया गया एवं अतिक्रमी को अतिक्रमण करने के आरोप में भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान लगभग राशि रू. 600/– से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक मेघाना को अलग से आदेश जारी हो कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर रिर्पोट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar
Date: 2022.04.30 12:50:39 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ